

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या - 44/2022

निर्णय दिनांक :- 21/2/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. महावीर पुत्र नानू जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0


-अप्रार्थी पक्ष-

प्रार्थना-पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 914 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 915 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 916 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 917 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 918 रकबा 0.47 है, ख0नं0 919 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 920 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 921 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 922 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 923 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम ककोडिया तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में अंकित ख0नं0 914 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 915 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 916 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 917 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 918 रकबा 0.47 है, ख0नं0 919 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 920 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 921 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 922 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 923 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम ककोडिया की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है


(भारत भूषण गौरव)
उपखण्ड अधिकारी
देवली